

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

/पटना, दिनांक- 8-5-12


विषय:- गैर योजना मद के मुख्यशीर्ष 2211-परिवार कल्याण राज्य के 394 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों एवं उनमें सृजित 1848 पदों का वर्ष 2012-2013 तक कुल-577257000/- (सन्तावन करोड़ बहत्तर लाख सन्तावन हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-10(12) दिनांक 20.07.11 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए किये गये अवधि विस्तार के क्रम में गैर योजना अन्तर्गत 394 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों एवं उनमें सृजित 1848 पदों वर्ष 2012-2013 में कुल-577257000/- (सन्तावन करोड़ बहत्तर लाख सन्तावन हजार)रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई है (व्यय विवरणी संलग्न) ।

2. इस राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2211-परिवार कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष 101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं, मांग संख्या 20 उप शीर्ष 0001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, विपत्र कोड संख्या- N-2211001010001 के अन्तर्गत वर्ष 2012-2013 में उपबंधित राशि से किया जायेगा । इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ववत संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार होंगे ।
3. राशि के व्यय संबंधित बजट शीर्ष के प्रावधान की अधिसीमा के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 एवं 2419वि0(2) दिनांक 05.04.07 के अलोक में किया जायेगा ।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का ही वेतन आदि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र में अंकित करेंगे ।
5. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 379(9) दिनांक 16.08.02 के आलोक में सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा ।
6. मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या मं0मं0-01/आर0-02-2007 -602 दिनांक 20.03.07 के कंडिका ग (2) के अलोक में अवधि विस्तार किया जा रहा है ।
7. अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।
8. यह मात्र अवधि विस्तार है, आवंटन अलग से दिया जायेगा ।
9. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से की जायेगी ।

विश्वासभाजन

  
(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

क. ल. प. न.

ज्ञापांक- 18/4040 (बजट) / 0-05/2011-02(12) / पटना दिनांक 8-5-12

प्रतिलिपि-सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-वित्त विभाग(बजट शाखा) को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदा०/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदा०, प्रा०स्वा०केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं/ अपर निदेशक(प०क०)/प्रशासी पदाधिकारी राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, पटना/ आंतरिक अंकेक्षक/राज्य डेमोग्राफर/प्रशाखा पदा०-1, 7, 10, एवं 12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*[Handwritten Signature]*  
8/5/2012

सरकार के संयुक्त सचिव ।

*[Handwritten Initials]*



## व्यय विवरणी

ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों का वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए गैर-योजना अन्तर्गत पदों की व्यय विवरणी :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	वेतनमान
1	चिकित्सा पदाधिकारी	394	332	15600-39100
2	प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक	394	91	9300-34800
3	भंडारपाल (लिपिक)	394	331	5200-20200
4	संगणक	394	310	5200-20200
5	चालक	272	156	5200-20200
<b>कुल</b>		<b>1848</b>	<b>1220</b>	

## व्यय का सरांश

इकाई		राशि
01 01	वेतन	348208000
01 03	जीवन यापन भत्ता	181450000
01 04	मकान किराया भत्ता	34821000
01 05	परिवहन भत्ता	7428000
01 06	चिकित्सा भत्ता	2929000
01 07	अन्य भत्ता	0
<b>कुल योग- वेतन एवं भत्ते</b>		<b>574836000</b>
06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000
11 01	यात्रा व्यय	300000
13 01	कार्यालय व्यय	534000
13 02	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	0
13 04	विद्युत प्रभार	800000
13 06	वर्दी/पोशाक	187000
14 01	किराया महसूल एवं कर	100000
<b>योग</b>		<b>577257000</b>

कुल योग- (सन्तावन करोड़ बहत्तर लाख सन्तावन हजार) रुपये मात्र ।

02/12  
8-5-12

8/5/2012  
सरकार के संयुक्त सचिव  
का. ए. ए. ए.